

::आदेश::

उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/12/93-का-1-2013 दिनांक 08-05-2013 के क्रम में संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-493 / 11-3-14-125/ 03 दिनांक 23-05-2014 में दिये गये प्राविधानुसार वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालक ग्रेड-4 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वाहन चालक ग्रेड-3 (वेतन बैंड-1-5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2400/-) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है :-

| क्र०सं० | ज्ये०क्र० / सं०ज्ये०क्र० | कर्मचारी का नाम | पिता का नाम | वर्तमान तैनाती स्थान | चयन वर्ष |
|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- | 369 / 225 | श्री राधेश्याम वर्मा | स्व० श्री डिप्टी लाल वर्मा | बाराबंकी | 2017-18 |
| 2- | 370 / 226 | श्री मोहम्मद जुबैर | श्री जमीरुद्दीन | लखनऊ | 2017-18 |
| 3- | 379 / 235 | श्री राजेश कुमार गौड़ | स्व० श्री लल्लन प्रसाद गौड़ | मीरजापुर | 2017-18 |

2- उपरोक्तानुसार पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कार्मिक को चयन वर्ष 2017-18 में आदेश दिनांक 28-03-2018 से वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। अतः उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक को भी तदनुसार उनसे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की तिथि से वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है। "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर इनको उक्त नोशनल पदोन्नति के लिए कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

3- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें।

4- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच / ई०ओ०डब्ल्यू जाँच चल रही हो तो ऐसे कार्मिकों पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हे कार्यभार ग्रहण न कराएँ और और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

Ain

28-6-21

9/22

5- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-5 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानते हुए सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुए कार्यभार ग्रहण करायेगें और इसकी सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेगें ।

ह0

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशा0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0सं0 व दिनांक----उक्त-----

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 2- सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 4- सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / असि0कमि0(ए)/आहरण वितरण अधिकारी,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।
- 5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से ।
- 7- सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका हेतु ।

(पी0एन0 यादव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्था0अरा0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।